रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082026-275657
CG-DL-E-21082026-275657

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 684]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2026/श्रावण 30, 1948
No. 684]	NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2026/SHRAVAN 30, 1948

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 750(अ).— दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, दूरसंचार (प्रयोक्ता पहचान) नियम, 2025 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 691(अ), तारीख 19 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराने की तारीख से तीस दिवस की अवधि समाप्त होने से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 22 सितंबर, 2025 को जनसाधारण के लिए उपलब्ध करा दी गईं थी;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत उस दौरान प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (क) और (ङ) अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (प्रयोक्ता पहचान) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएँ—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आधार संख्या" का वही अर्थ होगा जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) में दिया गया है;

(ख) "आधार संख्या धारक" का वही अर्थ होगा जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) में उसे दिया गया है;

(ग) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;

(घ) "प्राधिकृत प्रतिनिधि", व्यावसायिक प्रयोक्ता से—

(i) शासी निकाय के पूर्णकालिक सदस्य अभिप्रेत है जिन्हें ऐसे व्यावसायिक प्रयोक्ता के मामलों का प्रबंधन सौंपा गया है;

(ii) ऐसे व्यावसायिक प्रयोक्ता का मुख्य कार्यकारी अभिप्रेत है, जिसे उस व्यावसायिक प्रयोक्ता के पूरे मामलों के संबंध में प्रबंधन की पर्याप्त शक्तियां सौंपी गई हैं; या

(iii) इस संबंध में ऐसे शासी निकाय या मुख्य कार्यकारी द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ङ) "बायोमेट्रिक सूचना" से लाइव कैप्चर से उत्पन्न प्रयोक्ता की बायोमेट्रिक्स, चेहरे, फिंगरप्रिंट या आइरिस, या पोर्टल पर विनिर्दिष्ट की जा सकने वाली ऐसी अन्य जैविक विशेषता अभिप्रेत है;

(च) "व्यावसायिक संबंध" से एक या अधिक दूरसंचार सेवा कनेक्शन या ऐसे कनेक्शनों के ग्राहक पहचान मॉड्यूल अभिप्रेत है जो किसी व्यवसाय प्रयोक्ता को उसके सद्भावपूर्वक उपयोग के लिए प्रदान किए जाते हैं;

(छ) "व्यावसायिक प्रयोक्ता" से ऐसा प्रयोक्ता अभिप्रेत है जो—

(i) लागू विधि के अधीन गठित कोई विधिमान्य व्यक्ति है, जिसमें कोई कंपनी, साझेदारी फर्म, सीमित देयता भागीदारी, न्यास, सहकारी समिति, सोसायटी, केंद्रीय सरकार के विभाग और राज्य सरकार के विभाग सम्मिलित हैं; या

(ii) लागू विधि के अधीन किसी भी नाम से जारी व्यापार या व्यवसाय अनुज्ञप्ति या परमिट रखता है।

स्पष्टीकरण—खंड (छ) के उप-खंड (i) के प्रयोजनों के लिए,—

(अ) "केंद्रीय सरकारी विभाग" से भारत सरकार (कारबार का आवंटन) नियम, 1961 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई मंत्रालय, विभाग, सचिवालय या कार्यालय और इसका संबद्ध कार्यालय या उसके अधीनस्थ कार्यालय अभिप्रेत है;

(आ) "सहकारी समिति" से किसी राज्य में तत्समय प्रवृत सहकारी समितियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत मानी जाने वाली कोई समिति अभिप्रेत है;

(इ) "सीमित देयता भागीदारी" का वही अर्थ होगा जो सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) में दिया गया है;

(ई) "सोसायटी" से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई समाज अभिप्रेत है; और

(उ) "राज्य सरकार के विभाग" से कोई मंत्रालय, विभाग, सचिवालय या कार्यालय—

(क) संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट, राज्य की सरकार के कारबार के आवंटन के लिए; और

(ख) संघ राज्य क्षेत्र सरकार का कोई विभाग और इसका कोई संबद्ध कार्यालय या उसके अधीनस्थ कार्यालय अभिप्रेत है;

(ऊ) "न्यास" से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित कोई न्यास अभिप्रेत है।

(ज) "ग्राहक आवेदन प्ररूप", प्रयोक्ता के संबंध में, से किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा किसी व्यक्ति को प्रयोक्ता के रूप में नामांकन करने, ऐसी सूचना को अद्यतन करने या उसे प्रदान की गई अधिसूचित सेवाओं को डिस्कनेक्ट करने के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ सूचना प्रदान करने हेतु उपलब्ध कराया गया प्ररूप अभिप्रेत है;

(झ) "डी-केवाईसी प्रक्रिया" से नियम 5 के अधीन प्रयोक्ता की बायोमेट्रिक आधारित पहचान की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ञ) "ई-केवाईसी प्रक्रिया" से नियम 4 के अधीन प्रयोक्ता की बायोमेट्रिक आधारित पहचान की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ट) किसी व्यावसायिक कनेक्शन के "अंतिम प्रयोक्ता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो संबंधित व्यावसायिक प्रयोक्ता द्वारा अनुमत उद्देश्यों के लिए, ऐसे व्यावसायिक प्रयोक्ता को प्रदान किए गए ग्राहक पहचान मॉड्यूल का उपयोग करता है;

(ठ) "लाइव कैप्चर" से वास्तविक समय में यथास्थिति कैप्चर की गई चेहरे की छवि, या फिंगरप्रिंट या आइरिस का स्कैन अभिप्रेत है जो ऐसी तकनीक का उपयोग करके सत्यापित करने में सक्षम है कि ऐसी छवि या स्कैन उस प्रयोक्ता की है जो शारीरिक रूप से विद्यमान है;

(ड) "अधिसूचित सेवाएँ" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दूरसंचार सेवाएँ अभिप्रेत है;

(ढ) "पोर्टल" से नियम 11 में संदर्भित पोर्टल अभिप्रेत है;

(ण) "पॉइंट ऑफ सेल" से पॉइंट ऑफ सेल सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति अभिप्रेत है और जो—

(i) कोई प्राधिकृत इकाई; या

(ii) किसी प्राधिकृत इकाई का अभिकर्ता, फ्रेंचाइजी या वितरक और जो लागू विधि के अधीन व्यापार या व्यवसाय करने के लिए किसी भी नाम से किसी कंपनी, साझेदारी फर्म, एकमात्र स्वामित्व या व्यापार या व्यवसाय अनुज्ञप्ति, परमिट या रजिस्ट्रेशन रखने वाला व्यक्ति होगा; या

(iii) उप-खंड (i) या उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी रीति से नियोजित या संलग्न कोई भी व्यक्ति होगा।

स्पष्टीकरण—यदि पॉइंट ऑफ सेल उप-खंड (iii) के अधीन यथानिर्दिष्ट व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को एक भिन्न पॉइंट ऑफ सेल माना जाएगा;

(त) "पॉइंट ऑफ सेल सेवाएँ" से निम्नलिखित से संबंधित एक या अधिक सेवाएँ अभिप्रेत है:—

(i) अधिसूचित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रयोक्ता की पहचान, जिसमे पुनः सत्यापन का उद्देश्य भी सम्मिलित है;

(ii) अधिसूचित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रयोक्ता का नामांकन;

(iii) प्रयोक्ता की सूचना को अद्यतन करना;

(iv) सब्सक्राइबर पहचान मॉड्यूल या प्रयोक्ता टर्मिनलों का वितरण;

(v) अधिसूचित सेवाओं के संबंध में रिचार्ज और अन्य बिलिंग कार्यकलाप; और

(vi) प्रयोक्ता की अधिसूचित सेवाओं का डिस्कनेक्शन;

(थ) "नातेदार" का वही अर्थ होगा जो दूरसंचार (प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 में दिया गया है;

(द) "सब्सक्राइबर पहचान मॉड्यूल" से ऐसा मॉड्यूल अभिप्रेत है, जिसे किसी भी नाम से कहा जाता है, किसी भी फॉर्म फैक्टर में उपलब्ध, प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रयोक्ता को समनुदेशित किए गए किसी अद्वितीय दूरसंचार पहचानकर्ता और दूरसंचार नेटवर्क पर ऐसे प्रयोक्ता को विशिष्ट रूप से पहचानने और प्रमाणित करने के लिए संबंधित प्रमाणीकरण कुंजियों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने के लिए उपयोग किया जाता

है, और इसमें प्लग करने योग्य ग्राहक पहचान मॉड्यूल, एम्बेडेड ग्राहक पहचान मॉड्यूल (ई-सिम), एकीकृत ग्राहक पहचान मॉड्यूल (आई-सिम), आभासी ग्राहक पहचान मॉड्यूल या कोई अन्य समकक्ष ग्राहक पहचान मॉड्यूल है;

(ध) "ग्राहक डेटा अभिलेख" किसी प्राधिकृत इकाई के संबंध में, से नियम 4 के उप-नियम (2) के खंड (ख), नियम 5 के उप-नियम (2), नियम 6 के उप-नियम (6), नियम 8 के उप-नियम (2) और नियम 9 के उप-नियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना का व्यापक भंडार अभिप्रेत है; और

(न) "प्रयोक्ता सूचना", प्रयोक्ता के संबंध में, से नाम, लिंग, जन्म तारीख, चेहरे का लाइव कैप्चर और ऐसे प्रयोक्ता की ऐसी अन्य सूचना अभिप्रेत है जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, उनके अर्थ वही होंगे जो उन्हे अधिनियम या उक्त नियमों में क्रमशः दिए गए हैं।

3. लागू होना—(1) ये नियम किसी भी प्राधिकृत इकाई द्वारा अधिसूचित सेवाओं के प्रयोक्ताओं की सत्यापन योग्य बायोमेट्रिक आधारित पहचान पर लागू होंगे—

(क) जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन प्राधिकार रखता है;

(ख) जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति धारक है, जिसके संबंध में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए, जिसके संबंध में अनुज्ञप्तिधारी ने अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (6) के अधीन ऐसे अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अधीन कार्य करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है; या

(ग) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (6) के अधीन प्राधिकार की निबंधनों और शर्तों में अंतरित हो गया है।

(2) प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित परिस्थितियों में उप-नियम (3) और (4) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में किसी व्यवसाय प्रयोक्ता सहित प्रयोक्ता की बायोमेट्रिक आधारित पहचान करेगी, अर्थात्:—

(क) दूरसंचार सेवा कनेक्शन या उसके लिए ग्राहक पहचान मॉड्यूल के लिए प्रयोक्ता के नामांकन से पहले;

(ख) नियम 6 के अधीन प्रयोक्ता की सूचना अपडेट करने से पहले;

(ग) नियम 9 के अधीन डिस्कनेक्शन से पहले;

(घ) नियम 7 के अधीन पुनर्सत्यापन के लिए निर्देश के अनुसार।

(3) प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) के अधीन प्रयोक्ता की बायोमेट्रिक आधारित पहचान के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया करेगी, अर्थात्:—

(क) ई-केवाईसी प्रक्रिया, उस प्रयोक्ता के संबंध में जो आधार संख्या धारक है; या

(ख) डी-केवाईसी प्रक्रिया, किसी प्रयोक्ता के संबंध में, जो आधार संख्या धारक नहीं है या आधार संख्या धारक है किन्तु क्षति, विरूपण, चोट या विच्छेदन जैसे कारणों से चेहरे, उंगलियों और आइरिस के लाइव कैप्चर को प्रमाणित करने में असमर्थता के कारण ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने में असमर्थ है।

(4) यदि प्रयोक्ता कोई व्यावसायिक प्रयोक्ता है जो व्यावसायिक कनेक्शन चाहता है, तो प्राधिकृत इकाई ऐसे व्यावसायिक प्रयोक्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि की बायोमेट्रिक आधारित पहचान और ऐसे व्यावसायिक कनेक्शन के प्रत्येक अंतिम प्रयोक्ता की, यदि कोई हो, इस नियम के अनुसार करेगी:

परंतु केंद्रीय सरकार या इस संबंध मे प्राधिकृत अधिकारी, जहां वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, और लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, किसी प्राधिकृत इकाई को अंतिम प्रयोक्ता या अंतिम प्रयोक्ताओं के एक वर्ग की बायोमेट्रिक आधारित पहचान करने से छूट दे सकेगी।

(5) इन नियमों का पालन उप-नियम (1) में उल्लिखित प्राधिकृत इकाई द्वारा धारित प्राधिकार या अनुज्ञप्ति की शर्तों में से एक होगा।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों का पालन करने में किसी प्राधिकृत इकाई की ओर से यथास्थिति कोई विफलता प्राधिकार या अनुज्ञप्ति, की निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन होगी।

4. ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से प्रयोक्ता की पहचान—(1) कोई प्राधिकृत इकाई इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से नियम 3 के उप-नियम (3) के खंड (क) में उल्लिखित प्रयोक्ता की पहचान के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया करेगी।

(2) प्राधिकृत इकाई, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों, निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार,—

(क) ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करके ऐसे प्रयोक्ता की सूचना के प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को करेगी; और

(ख) ग्राहक आवेदन प्ररूप और ग्राहक डेटा अभिलेख में निम्नलिखित ब्यौरों को संग्रहीत और संसाधित करेगी, अर्थात्:—

(i) आधार संख्या सहित ई-केवाईसी डेटा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार से प्राप्त हुआ है; और

(ii) प्रयोक्ता की जानकारी।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा" और "ई-केवाईसी डेटा" के वही अर्थ होंगे जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) के अधीन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के संबंध में बनाए गए विनियमों में उन्हें सौंपा गया है।

5. डी-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से प्रयोक्ता की पहचान—(1) कोई प्राधिकृत इकाई इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से नियम 3 के उप-नियम (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रयोक्ता की पहचान के लिए डी-केवाईसी प्रक्रिया करेगी।

(2) प्राधिकृत इकाई, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों, निदेशों, अनुदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार डी-केवाईसी प्रक्रिया करेगी और—

(क) नियम 3 के उप-नियम (3) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोक्ताओं के वर्ग को अवधारित करेगी, जिससे प्रयोक्ता संबंधित है, और ग्राहक आवेदन प्ररूप और ग्राहक डेटा अभिलेख में उसी को दर्ज करेगी;

(ख) इसके ग्राहक डेटा अभिलेख में निहित सूचना के विरुद्ध जांच करेगी कि क्या ऐसे प्रयोक्ता ने पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया की है, और यदि ऐसा है, तो ऐसे प्रयोक्ता से एक वचन प्राप्त करेगी कि वह अब आधार संख्या धारक नहीं है या नियम 3 के उप-नियम (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट असमर्थता के कारण ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने में असमर्थ है;

(ग) पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रयोक्ता सूचना और अन्य सूचना के संग्रह के साथ चेहरे का लाइव कैप्चर करेगी;

(घ) पोर्टल पर विनिर्दिष्ट एक या अधिक दस्तावेजों की मूल छवि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैप्चर करेगी, प्रयोक्ता द्वारा पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा;

(ङ) केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के अनुसार इस उप-नियम के अधीन कैप्चर की गई सूचना को ग्राहक आवेदन प्ररूप और ग्राहक डेटा अभिलेख में स्टोर और प्रोसेस किया जाएगा;

(च) समुचित जांच-पड़ताल करेगी —

(i) प्रयोक्ता की पहचान और पते से संबंधित दावों के संबंध में संतुष्ट करेगी;

(ii) सत्यापित करेगी कि—

(क) खंड (ग) में उल्लिखित चेहरे का लाइव कैप्चर प्रयोक्ता के चेहरे से मेल खाता है;

(ख) (घ) में उल्लिखित दस्तावेजों की छवि प्रयोक्ता के द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों से मेल खाती है; और

(ग) चेहरे का लाइव कैप्चर उस चेहरे की छवि से मेल खाता है जो खंड (घ) में निर्दिष्ट दस्तावेजों में निहित है; और

(iii) अपने ग्राहक डेटा अभिलेख में सूचना के विरुद्ध जांच करेगी कि क्या प्रयोक्ता ने पहले कोई दूरसंचार सेवा कनेक्शन प्राप्त किया था, और यदि हां, तो इस उप-नियम के अधीन कैप्चर की गई प्रयोक्ता सूचना का सत्यापन करेगी, ऐसी सूचना के साथ अपने ग्राहक डेटा अभिलेख में; और

(छ) ऐसे आदेशों, निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों का पालन करना जो इन नियमों के अधीन पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किए गए हैं, जिसमें ऐसे दस्तावेजों की तैयारी या अनुरक्षण से संबंधित अधिकारियों के डेटाबेस के साथ इस उप-नियम के अधीन या प्रयोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित करना सम्मिलित है।

(3) यदि कोई प्रयोक्ता दुर्बलता, विकृति या चोट जैसे कारणों से चेहरे की लाइव कैप्चर किए जाने में असमर्थ है, तो प्राधिकृत इकाई उसे अन्य बायोमेट्रिक सूचना प्रदान करने के लिए एक सुलभ विकल्प प्रदान करेगी, और उप-नियम (2) के उपबंध उसी के संबंध में उत्परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

(4) प्राधिकृत इकाई, उप-नियम (2) के खंड (घ) या (च) के अधीन प्रयोक्ता की पहचान या पते से संबंधित किसी भी दावे के संबंध में, फील्ड विज़िट के माध्यम से जाँच कर सकेगी या सत्यापन के लिए पुलिस की सहायता ले सकेगी या दोनों।

6. प्रयोक्ता सूचना का अद्यतन—(1) प्रत्येक प्राधिकृत इकाई, इन नियमों के अधीन अन्य दायित्वों के अलावा, नियम 3 के अनुसार, प्रयोक्ता की बायोमेट्रिक आधारित पहचान करेगी—

(क) यदि वह सब्सक्राइबर पहचान मॉड्यूल को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है; या

(ख) यदि वह अपना नाम, लिंग या जन्म तारीख में परिवर्तन करना चाहता है; या

(ग) यदि उप-नियम (3) या (4) के अधीन प्रयोक्ता में परिवर्तन होता है।

(2) प्राधिकृत इकाई, उप-नियम (1) के अनुसार बायोमेट्रिक आधारित पहचान के सिवाय, समुचित जांच-पड़ताल भी करेगी—

(क) प्रयोक्ता की पहचान सहित प्रयोक्ता सूचना से संबंधित दावों के संबंध में संतुष्ट करेगी; और

(ख) बायोमेट्रिक आधारित पहचान के लिए कैप्चर की गई प्रयोक्ता सूचना, उसके ग्राहक डेटा अभिलेख में जांच करेगी कि ऐसे प्रयोक्ता के अनुरूप प्रयोक्ता सूचना से मेल खाती है या नहीं।

(3) दूरसंचार सेवा कनेक्शन या उसके लिए ग्राहक पहचान मॉड्यूल (जिसे इसमें इसके पश्चात "विद्यमान प्रयोक्ता" कहा गया है) के प्रयोक्ता में कोई भी परिवर्तन केवल ऐसे प्रयोक्ता के नातेदारों या विधिक उत्तराधिकारियों, या पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रयोक्ताओं के किसी अन्य वर्ग (जिसे इसमें इसके पश्चात "नए प्रयोक्ता" कहा गया है) के संबंध में, निम्नलिखित के अधीन, विद्यमान प्रयोक्ता या नए प्रयोक्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर किया जा सकेगा:—

(क) नए प्रयोक्ता को दूरसंचार सेवा कनेक्शन या उसके लिए ग्राहक पहचान मॉड्यूल के उपबंध को एक नए दूरसंचार सेवा कनेक्शन के रूप में माना जाएगा; और

(ख) निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति, अर्थात्:—

(i) विद्यमान प्रयोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना और नियम 3 के अनुसार विद्यमान प्रयोक्ता और नए प्रयोक्ता दोनों की बायोमेट्रिक आधारित पहचान:

परंतु यदि विद्यमान प्रयोक्ता अपनी अक्षमता के कारण इस खंड के अधीन किसी आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है, तो ऐसी आवश्यकता के स्थान पर ऐसी अक्षमता के साक्ष्य के लिए एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा; या

(ii) यदि विद्यमान प्रयोक्ता की मृत्यु हो गई है, तो नियम 3 के अनुसार उसके मृत्यु प्रमाण पत्र और नए प्रयोक्ता की बायोमेट्रिक आधारित पहचान प्रस्तुत करना;

परंतु केंद्रीय सरकार या इस संदर्भ मे उसका प्राधिकृत अधिकारी, जहां वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, इस उप-नियम के अधीन किसी प्रयोक्ता या प्रयोक्ताओं के वर्ग के संबंध में किसी शर्त को छूट दे सकेगी या उसमें ढील दे सकेगी, लिखित में कारणों को दर्ज करते हुए।

(4) व्यावसायिक संबंध के मामले में, प्राधिकृत इकाई संबंधित व्यावसायिक प्रयोक्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि को स्पष्ट और अभिव्यक्त रीति से यह समझाएगी कि यदि ऐसे व्यावसायिक संबंध के अंतिम प्रयोक्ता में कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसा प्रतिनिधि निम्नलिखित बातों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, अर्थात्:—

(क) व्यावसायिक प्रयोक्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि का यह दायित्व होगा कि वह अंतिम प्रयोक्ता में ऐसे परिवर्तन की सूचना, इस निमित्त पोर्टल पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, प्राधिकृत इकाई को दे; और

(ख) व्यावसायिक प्रयोक्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि का यह दायित्व होगा कि नए अंतिम प्रयोक्ता की बायोमेट्रिक आधारित पहचान ऐसे परिवर्तन की सूचना की तारीख से पोर्टल पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर की जाए, जिसमें विफल रहने पर, ऐसे नए अंतिम प्रयोक्ता द्वारा बायोमेट्रिक आधारित पहचान सफलतापूर्वक करा लिए जाने तक, प्राधिकृत इकाई ऐसे व्यावसायिक संबंध को निलंबित कर देगी:

परंतु इस उप-नियम में कुछ भी नियम 3 के उप-नियम (4) के परंतुक के अधीन छूट प्राप्त किसी भी अंतिम प्रयोक्ता या अंतिम प्रयोक्ताओं के वर्ग के संबंध में लागू नहीं होगा।

(5) प्राधिकृत इकाई, इस नियम के अधीन दी गई किसी भी सूचना या प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ के संबंध में, फील्ड विज़िट के माध्यम से जाँच कर सकेगी या सत्यापन के लिए पुलिस की सहायता ले सकेगी या दोनों।

(6) प्राधिकृत इकाई प्रयोक्ता सूचना में इस नियम के अधीन किए गए सभी परिवर्तनों को समय मुहर के साथ पुरानी और नई सूचना को बनाए रखते हुए अपने ग्राहक डेटा अभिलेख में अद्यतन करेगी।

7. निलंबन और पुनर्सत्यापन—(1) यदि केंद्रीय सरकार के संज्ञान में आता है कि किसी प्राधिकृत इकाई ने इन नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी प्रयोक्ता को दूरसंचार सेवा कनेक्शन या उसके लिए ग्राहक पहचान मॉड्यूल प्रदान किया है, तो केंद्रीय सरकार ऐसे प्राधिकृत इकाई को ऐसे कनेक्शन या मॉड्यूल को तत्काल निलंबित करने और केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समय की अवधि के भीतर नियम 3 के अनुसार ऐसे प्रयोक्ता की बायोमेट्रिक आधारित पहचान करने का निदेश दे सकेगी, ऐसा न करने पर, केंद्रीय सरकार ऐसे प्राधिकृत इकाई को ऐसे दूरसंचार सेवा कनेक्शन या उसके लिए ग्राहक पहचान मॉड्यूल को डिस्कनेक्ट करने का निदेश दे सकेगी:

परंतु इस नियम के अधीन की गई कोई भी कार्रवाई अधिनियम के सुसंगत उपबंध के अधीन प्राधिकृत इकाई या प्रयोक्ता या दोनों के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही के लिए पूर्वाग्रह के बिना होगी।

(2) एक प्राधिकृत इकाई नियम 3 के अनुसार प्रयोक्ता की बायोमेट्रिक आधारित पहचान के माध्यम से जहां उचित और वास्तविक दूरसंचार सेवा कनेक्शन या ग्राहक पहचान मॉड्यूल के उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के अनुसार यथाअपेक्षित पुन: सत्यापन करेगी।

8. प्राधिकृत इकाई की अतिरिक्त बाध्यताएं—(1) प्रत्येक प्राधिकृत इकाई अपने प्रत्येक प्रयोक्ता को स्पष्ट और अभिव्यक्त रीति से निम्नलिखित के बारे में समझाएगी, अर्थात्:—

(क) प्रयोक्ता के निम्नलिखित कर्तव्य और दायित्व, अर्थात्:—

(i) इन नियमों के अधीन बायोमीट्रिक आधारित पहचान के समय अपनी पहचान स्थापित करने के लिए सही जानकारी प्रदान करना; और

(ii) अधिनियम की धारा 29 के खंड (क) का अनुपालन सुनिश्चित करना और अपनी पहचान स्थापित करते समय कोई मिथ्या, गलत या कूटरचित जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध न कराना, किसी तात्विक जानकारी को न छिपाना अथवा किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण न करना; और

(iii) नियम 6 के उप-नियम (3) या उप-नियम (4) अथवा अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी अन्य नियम के अनुसरण में किए गए अंतरण को छोड़कर, अपनी दूरसंचार सेवा कनेक्शन या उसके लिए जारी ग्राहक पहचान मॉड्यूल का किसी अन्य प्रयोक्ता को पुनर्विक्रय, अंतरण अथवा पट्टे पर न देना; और

(ख) प्रयोक्ता द्वारा अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन न करने के परिणाम, जिनमें निम्नलिखित के अधीन परिणाम सम्मिलित हैं, अर्थात्:—

(i) दूरसंचार सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपनी पहचान स्थापित करते समय कोई मिथ्या विशिष्टियां देने, किसी तात्विक जानकारी को छिपाने अथवा किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करने के लिए अधिनियम की धारा 33 के उपबंध; और

(ii) कपट, छल या प्रतिरूपण द्वारा ग्राहक पहचान मॉड्यूल या अन्य दूरसंचार पहचानकर्ताओं को प्राप्त करने के अपराध के लिए अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के उपबंध।

(2) प्रत्येक प्राधिकृत इकाई अपने प्रत्येक प्रयोक्ता को स्पष्ट और अभिव्यक्त रीति से उसके कर्तव्य और दायित्व भी बताएगी—

(क) अधिसूचित सेवाओं का वास्तविक उपयोग सुनिश्चित करना, और लागू विधि के अनुसार ऐसी अधिसूचित सेवाओं के दुरुपयोग के परिणाम;

(ख) नए पते को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ के साथ तत्काल ऐसे प्रयोक्ता के पते में किसी भी परिवर्तन की प्राधिकृत इकाई को सूचना प्रदान करना; और

(ग) प्रयोक्ता सूचना मे किसी भी परिवर्तन की सूचना प्राधिकृत इकाई को तत्काल प्रदान करना, ऐसी प्राधिकृत इकाई के डेटाबेस में सूचना की सटीकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, जिसमें उसके ग्राहक डेटा अभिलेख भी सम्मिलित है:

परंतु प्राधिकृत इकाई समय मुहर के साथ पुरानी और नई सूचना को बनाए रखते हुए उसके ग्राहक डेटा अभिलेख में खंड (ख) और (ग) के अधीन प्रयोक्ता द्वारा प्रदान की गई सूचना को सम्यक रूप से अद्यतन करेगी।

(3) प्रत्येक प्राधिकृत इकाई उप-नियम (1) और (2) के अनुसार प्रत्येक प्रयोक्ता से स्पष्ट पावती प्राप्त करेगी।

(4) प्रत्येक प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी अर्थात्:—

(क) यदि इन नियमों के अनुसार प्रयोक्ता की सूचना या बायोमेट्रिक सूचना उसके पॉइंट ऑफ सेल द्वारा एकत्र की जाती है या प्रस्तुत की जाती है, तो ऐसी सूचना प्राधिकृत इकाई के संबंधित सिस्टम में सुरक्षित रूप से प्रेषित की जाएगी, और पॉइंट ऑफ सेल द्वारा ऐसी कोई भी सूचना भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत नहीं की जाएगी;

(ख) दूरसंचार (प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 में विनिर्दिष्ट पॉइंट ऑफ सेल से संबंधित दायित्वों का पालन इसके पॉइंट ऑफ सेल द्वारा किया जाता है; और

(ग) सब्सक्राइबर डेटा अभिलेख डेटा सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित विधि सहित लागू विधियों का अनुपालन करते हुए संचालित और अनुरक्षित किया जाता है।

(5) प्रत्येक प्राधिकृत इकाई अपने द्वारा स्थापित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से बायोमीट्रिक आधारित पहचान से संबंधित किसी भी शिकायत का निवारण करेगी।

(6) यदि प्राधिकृत इकाई की सूचना में आता है कि असत्य, गलत या जाली सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे या उपयोग किए गए थे, या किसी प्रयोक्ता की बायोमेट्रिक आधारित पहचान के दौरान कोई भौतिक सूचना दबा दी गई थी या प्रतिरूपण किया गया था, तो ऐसी प्राधिकृत इकाई, -

(क) ऐसी जानकारी, दस्तावेज या प्रतिरूपण के ब्यौरों सहित अपेक्षित विवरण के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए पुलिस या संबंधित विधि प्रवर्तन अभिकरण को सूचित करेगी; और

(ख) खंड (क) के अनुसरण में किए गए उपायों की सूचना, इस निमित्त पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में, केंद्रीय सरकार को देगी।

(7) यदि केंद्रीय सरकार के संज्ञान में आता है कि प्राधिकृत इकाई उप-नियम (6) के अधीन विनिर्दिष्ट कार्रवाई को करने में विफल रही है, तो केंद्रीय सरकार ऐसे प्राधिकृत इकाई को पुलिस या संबंधित विधि प्रवर्तन अभिकरण को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए सूचित करने का निदेश दे सकेगी और यथास्थिति अधिनियम के अध्याय 8 या अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अधीन, उस प्राधिकृत इकाई के विरुद्ध कार्रवाई भी शुरू कर सकेगी।

9. प्रयोक्ता के अनुरोध पर डिस्कनेक्शन—(1) कोई प्रयोक्ता सब्सक्राइब की गई दूरसंचार सेवा कनेक्शन या उसके लिए सब्सक्राइबर पहचान मॉड्यूल को डिस्कनेक्ट करने की मांग कर सकेगा:

परंतु सब्सक्राइब की गई दूरसंचार सेवा कनेक्शन या उसके लिए ग्राहक पहचान मॉड्यूल को डिस्कनेक्ट करने के लिए प्रयोक्ता के अनुरोध को स्वीकार करते समय, प्राधिकृत इकाई:

(क) नियम 3 के अनुसार ऐसे प्रयोक्ता की बायोमेट्रिक आधारित पहचान करेगी; और

(ख) समुचित जाँच-पड़ताल करेगी —

(i) प्रयोक्ता की पहचान सहित प्रयोक्ता सूचना से संबंधित दावों के संबंध में संतुष्ट करेगी; और

(ii) बायोमेट्रिक आधारित पहचान के लिए कैप्चर की गई प्रयोक्ता सूचना, उसके ग्राहक डेटा अभिलेख में जांच करेगी कि ऐसे प्रयोक्ता के अनुरूप प्रयोक्ता सूचना से मेल खाती है या नहीं।

(2) प्रत्येक प्राधिकृत इकाई समय स्टाम्प के साथ पुराने और नए समय के साथ-साथ सूचना को बनाए रखते हुए दूरसंचार सेवा कनेक्शन या ऐसे कनेक्शन के ग्राहक पहचान मॉड्यूल के किसी भी डिस्कनेक्शन के अनुसार ग्राहक डेटा अभिलेख में सुसंगत क्षेत्रों को अद्यतन करेगी।

10. प्रकीर्ण—(1) केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा अथवा अनुदेशों, निदेशों या दिशानिर्देशों द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगी कि प्रत्येक प्राधिकृत इकाई, जो इन नियमों के अधीन किसी प्रयोक्ता की बायोमीट्रिक आधारित पहचान करती है, उससे यह पुष्टि प्राप्त करने के लिए कि संबंधित दूरसंचार सेवा कनेक्शन या उसके लिए ग्राहक पहचान मॉड्यूल के संबंध में अनुरोध उसी प्रयोक्ता द्वारा किया गया है, उसे उसके प्रत्येक विद्यमान दूरसंचार सेवा कनेक्शन या उसके लिए ग्राहक पहचान मॉड्यूल के माध्यम से, अन्य सुसंगत ब्यौरों के साथ, संबंधित दूरसंचार सेवा कनेक्शन या उसके लिए ग्राहक पहचान मॉड्यूल का विनिर्देश करते हुए एक सतर्कता संदेश भेजे।

(2) यदि उप-नियम (1) के अधीन भेजे गए सतर्कता संदेश पर प्रयोक्ता की प्रतिक्रिया नकारात्मक हो, तो प्राधिकृत इकाई, संबंधित तथ्यों का पता लगाने तथा समापन के लिए उपयुक्त कार्रवाई किए जाने तक, तत्काल निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:—

(क) किसी प्रयोक्ता के दूरसंचार सेवा कनेक्शन या उसके लिए ग्राहक पहचान मॉड्यूल के नामांकन के संबंध में सतर्कता संदेश भेजे जाने की दशा में संबंधित दूरसंचार सेवा कनेक्शन और उसके लिए ग्राहक पहचान मॉड्यूल को निलंबित करेगी;

(ख) नियम 6 के उप-नियम (1) के अधीन बायोमीट्रिक आधारित पहचान के संबंध में सतर्कता संदेश भेजे जाने की दशा में—

(i) उसके खंड (क) के अधीन, संबंधित ग्राहक पहचान मॉड्यूल को निलंबित करेगी;

(ii) उसके खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन, यदि अभिदाता आँकड़ा अभिलेख में प्रयोक्ता की जानकारी अद्यतन या परिवर्तित कर दी गई हो, तो उसे पूर्ववत् स्थापित करेगी अथवा अन्यथा उसके अद्यतन या परिवर्तन को स्थगित रखेगी; और

(ग) नियम 9 के अधीन बायोमीट्रिक आधारित पहचान के संबंध में सतर्कता संदेश भेजे जाने की दशा में यदि दूरसंचार सेवा कनेक्शन या उसके लिए ग्राहक पहचान मॉड्यूल डिस्कनेक्ट कर दिया गया हो, तो उसे पूर्ववत् स्थापित करेगी अथवा अन्यथा ऐसे डिस्कनेक्शन के अनुरोध को स्थगित रखेगी।

(3) केंद्रीय सरकार, इन नियमों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनों के लिए, अधिनियम या इन नियमों से असंगत न होने वाले आदेश, निदेश, अनुदेश या दिशानिर्देश जारी कर सकेगी, जिनमें निम्नलिखित के संबंध में आदेश, निदेश, अनुदेश या दिशानिर्देश भी सम्मिलित हैं, अर्थात्:—

(क) प्राधिकृत इकाइयों द्वारा, पृथक रूप से या सामूहिक रूप से, प्रयोक्ता की जानकारी का गोपनीय, सुरक्षित, अस्वीकृत न किए जा सकने योग्य तथा अपरिवर्तनीय रीति में भंडारण और अनुरक्षण; और

(ख) प्राधिकृत इकाइयों द्वारा ऐसे कृत्यों और कार्यों का निष्पादन, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रयोक्ता की जानकारी पहचानयोग्य, विभेदनीय और अभिलेखित किए जाने योग्य हो।

(4) प्रत्येक प्राधिकृत इकाई, इन नियमों के अनुसरण में बायोमीट्रिक आधारित पहचान करते समय अपने प्रयोक्ताओं को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त तकनीकी तथा संगठनात्मक उपाय क्रियान्वित करेगी।

(5) प्राधिकृत इकाई, जब केंद्रीय सरकार अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा अपेक्षित किया जाए, तब इन नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्रीय सरकार या ऐसे अभिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट जानकारी, जिनमें इन नियमों के अधीन की गई किसी बायोमीट्रिक आधारित पहचान की विफलता के किसी उदाहरण के संबंध में जानकारी भी सम्मिलित है, उपलब्ध कराएगी।

(6) प्रत्येक प्राधिकृत इकाई, इन नियमों के प्रवृत होने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर, इन नियमों के प्रभावी अनुपालन के लिए उपयुक्त तकनीकी तथा संगठनात्मक उपाय करेगी, और आवश्यक अवसंरचना स्थापित करेगी:

परंतु केंद्रीय सरकार, ऐसे उपायों के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकृत इकाइयों की तत्परता की स्थिति का आकलन करने के पश्चात, यदि वह लोकहित में आवश्यक समझे, तो उक्त अवधि को तीन माह से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगी।

11. डिजिटल कार्यान्वयन—केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 53 को आगे बढ़ाते हुए, इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन के लिए एक या अधिक पोर्टल अधिसूचित करेगी, जिसमें इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी भी प्ररूप, पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण दस्तावेजों की सूची, रीति, आदेश, निदेश, अनुदेश या दिशानिर्देश प्रदान करना सम्मिलित है।

[फा. सं. 24-09/2025-यूबीबी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2026

G.S.R.750(E).— Whereas, a draft of the Telecommunications (User Identification) Rules, 2025 was published, as required under sub-section (1) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 691(E), dated the 19^{th} September, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 22^{nd} September, 2025;

And whereas, objections and suggestions received in that period in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (a) and (e) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Telecommunications (User Identification) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Aadhaar number" shall have the same meaning as assigned to it in the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016);

(b) "Aadhaar number holder" shall have the same meaning as assigned to it in the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016);

(c) "Act" means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);

(d) "authorised representative", in relation to a business user, means—

(i) the whole-time members of the governing body of such business user to which the management of affairs of such business user is entrusted; or

(ii) the chief executive of such business user, who is entrusted with substantial powers of management in respect of the whole of the affairs of that business user; or

(iii) any other individual specifically authorised in this behalf by such governing body or chief executive;

(e) "biometric information" means the biometrics of a user generated from live capture of face, fingerprint or irises, or of such other biological feature as specified on the portal;

(f) "business connection" means one or more telecommunication service connections or subscriber identity modules therefor provided to a business user for its *bona fide* use;

(g) "business user" means a user who—

(i) is a legal person constituted under applicable law, and includes a company, partnership firm, limited liability partnership, trust, co-operative society, society, Central Government Department and State Government Department; or

(ii) possesses a trade or business license or permit, by whatever name called, issued under applicable law.

Explanation.—For the purposes of sub-clause (i) of clause (g),—

(A) "Central Government Department" means a Ministry, Department, Secretariat or office specified in First Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 and includes an attached office or subordinate office thereof;

(B) "co-operative society" means a society registered or deemed to be registered under any law relating to co-operative societies for the time being in force in any State;

(C) "limited liability partnership" shall have the same meaning as assigned to it in the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009);

(D) "society" means a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860); and

(E) "State Government Department" means a Ministry, Department, Secretariat or office—

(a) specified in the rules made by the Governor under clause (3) of Article 166 of the Constitution of India, for the allocation of the business of the Government of the State; and

(b) a Department of a Union territory Government, and includes an attached office or subordinate office thereof;

(F) "trust" means a trust established under the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882) or under any other law for the time being in force.

(h) "customer application form", in relation to a user, means the form made available by an authorised entity for such user to furnish information accompanied by supporting documents for enrolment, update of user information or disconnection of any notified service;

(i) "D-KYC process" means the process for biometric based identification of a user under rule 5;

(j) "e-KYC process" means the process for biometric based identification of a user under rule 4;

(k) "end user" of a business connection means the individual who uses, for the purposes permitted by the relevant business user, the subscriber identity module provided to such business user;

(l) "live capture" means an image of the face, or a scan of the fingerprints or irises, as the case may be, captured in real-time, using technology capable of verifying that such image or scan is of the user who is physically present;

(m) "notified services" means the telecommunication services notified by the Central Government under sub-section (7) of the section 3 of the Act;

(n) "portal" means the portal referred to in rule 11;

(o) "point of sale" means a person providing point of sale services, who shall be—

(i) an authorised entity; or

(ii) agent, franchisee or distributor of an authorised entity and shall be a company, partnership firm, sole proprietorship or a person possessing a licence, permit or registration, by whatever name called, to carry on a trade or business, issued under applicable law; or

(iii) a person who is employed or engaged otherwise by a person referred to in sub-clause (i) or sub-clause (ii).

Explanation.—If the point of sale is a person as referred to in sub-clause (iii), such person shall be treated as a distinct point of sale;

(p) "point of sale services" means the services relating to one or more of the following, namely:—

(i) identification of a user to avail of notified services, including for the purpose of reverification;

(ii) enrolment of a user to avail of notified services;

(iii) updating of user information;

(iv) distribution of subscriber identity module or user terminals;

(v) recharge and other billing activities in respect of notified services; and

(vi) disconnection of notified services of a user;

(q) "relative" shall have the same meaning as assigned to it in the Telecommunications (Authorisation for Provision of Principal Telecommunication Services) Rules, 2026;

(r) "subscriber identity module" means a module, by whatever name called, available in any form factor, used to store in a secure manner a unique telecommunication identifier assigned to a user by the authorised entity and the related authentication keys to uniquely identify and authenticate such user on the telecommunication network, and includes a pluggable subscriber identity module, embedded subscriber identity module (e-SIM), integrated subscriber identity module (iSIM), virtual subscriber identity module or any other equivalent subscriber identity module;

(s) "subscriber data record", in relation to an authorised entity, means a comprehensive repository of the information specified in clause (b) of sub-rule (2) of rule 4, sub-rule (2) of rule 5, sub-rule (6) of rule 6, sub-rule (2) of rule 8 and sub-rule (2) of rule 9; and

(t) "user information", in relation to a user, means the name, gender, date of birth, live capture of face and such other information of such user as specified on the portal.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act or the rules made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the said rules.

3. Application.—(1) These rules shall apply to verifiable biometric based identification of users of notified services by any authorised entity—

(a) who holds an authorisation under clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Act;

(b) who holds a license granted under section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) for provision of telecommunication services in respect of which the licensee has exercised its right under sub-section (6) of section 3 of the Act to operate under the terms and conditions of such license; or

(c) who has migrated to the terms and conditions of the authorisation, under sub-section (6) of section 3 of the Act.

(2) The authorised entity shall undertake biometric based identification of a user, including of a business user, in accordance with the process specified under sub-rules (3) and (4), in the following circumstances, namely:—

(a) Prior to enrolment of a user for a telecommunication service connection or subscriber identity module therefor;

(b) Prior to updating of user information under rule 6;

(c) Prior to disconnection under rule 9;

(d) Pursuant to direction for reverification under rule 7.

(3) The authorised entity shall undertake the following process for biometric based identification of a user under sub-rule (2), namely:—

(a) e-KYC process, in respect of a user who is an Aadhaar number holder; or

(b) D-KYC process, in respect of a user who is not an Aadhaar number holder or is an Aadhaar number holder but is unable to undergo e-KYC process due to inability to authenticate live capture of face, fingerprints and irises due to reasons such as impairment, disfigurement, injury or amputation.

(4) If the user is a business user seeking a business connection, the authorised entity shall undertake biometric based identification of the authorised representative of such business user, and of each end user of such business connection, if any, in accordance with this rule:

Provided that the Central Government or its officer authorised in this behalf may, on being satisfied that it is necessary or expedient so to do, exempt an authorised entity from undertaking biometric based identification of an end user or a class of end users, while recording the reasons in writing.

(5) Adherence to these rules shall be one of the terms and conditions of authorisation or license held by the authorised entity referred to in sub-rule (1).

Explanation.—For the removal of doubts, it is clarified that any failure on the part of an authorised entity to adhere to these rules shall constitute breach of the terms and conditions of its authorisation or license, as the case may be.

4. Identification of user through e-KYC process.—(1) An authorised entity shall undertake e-KYC process for identification of a user as referred to in clause (a) of sub-rule (3) of rule 3 in the manner specified under this rule.

(2) The authorised entity shall, in accordance with the orders, directions, instructions and guidelines issued by the Central Government from time to time,—

(a) undertake the e-KYC process for the purposes of authentication of information of such user using the e-KYC authentication facility; and

(b) store and process the following details in the customer application form and subscriber data record, namely:—

(i) e-KYC data, including Aadhaar number, as received from the Unique Identification Authority of India established under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016); and

(ii) User information.

Explanation.—For the purposes of this rule, the expressions "e-KYC authentication facility" and "e-KYC data" shall have the same meanings as assigned to them in the regulations made regarding the procedure for authentication under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016).

5. Identification of user through D-KYC process.—(1) An authorised entity shall undertake the D-KYC process for identification of a user as referred to in clause (b) of sub-rule (3) of rule 3 in the manner specified under this rule.

(2) The authorised entity shall undertake the D-KYC process in accordance with the orders, directions, instructions and guidelines issued by the Central Government from time to time and shall—

(a) determine the class of users specified in clause (b) of sub-rule (3) of rule 3 to which the user belongs, and shall record the same in the customer application form and subscriber data record;

(b) check against information contained in its subscriber data record whether such user has previously undergone e-KYC process, and if so, shall obtain from such user an undertaking that he is no longer an Aadhaar number holder or is unable to undergo e-KYC process due to inability as referred to in clause (b) of sub-rule (3) of rule 3;

(c) undertake live capture of face along with collection of user information and other information as specified on the portal;

(d) capture electronically the image of the original of one or more documents as specified on the portal, to be presented by the user to evidence proof of identity and proof of address;

(e) store the information captured under this sub-rule in the customer application form and subscriber data record and process the same, in accordance with orders, directions, instructions and guidelines issued by the Central Government;

(f) undertake due diligence to—

(i) satisfy itself regarding the claims relating to identity and address of the user;

(ii) verify that—

(A) the live capture of face referred to in clause (c) matches the face of the user;

(B) the image of documents referred to in clause (d) matches the original documents presented by the user; and

(C) the live capture of face matches the image of the face that is contained in the documents referred to in clause (d); and

(iii) check against information in its subscriber data record as to whether the user had previously obtained any telecommunication service connection, and if so, undertake verification of the user information captured under this sub-rule with such information in its subscriber data record; and

(g) adhere to such orders, directions, instructions and guidelines as specified on the portal under these rules, including in respect of electronically verifying the information presented by or captured from the user under this sub-rule with the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such documents.

(3) If a user is unable to undergo live capture of face due to reasons such as impairment, disfigurement or injury, the authorised entity shall offer him an accessible alternative to provide other biometric information, and the provisions of sub-rule (2) shall apply *mutatis mutandis* in respect of the same.

(4) The authorised entity may, regarding any claim relating to identity or address of the user under clauses (d) or (f) of sub-rule (2), carry out checking through a field visit or take assistance of the police for verification or both.

6. Updating of user information.—(1) Each authorised entity shall, in addition to the other obligations under these rules, undertake, in accordance with rule 3, biometric based identification of the user—

(a) if he seeks to replace a subscriber identity module; or

(b) if he seeks to change his name, gender or date of birth; or

(c) if there is change of user under sub-rules (3) or (4).

(2) The authorised entity shall, in addition to the biometric based identification pursuant to sub-rule (1), also undertake due diligence to—

(a) satisfy itself regarding the claims relating to user information, including identity of the user; and

(b) check whether the user information captured for biometric based identification matches with the user information corresponding to such user in its subscriber data record.

(3) Any change in the user of a telecommunication service connection or subscriber identity module therefor (hereinafter referred to as "existing user") may be done only in respect of relatives or legal heirs of such user, or any other class of users as specified on the portal (hereinafter referred to as "new user"), on a request made by the existing user or new user, subject to the following, namely:—

(a) the provision of telecommunication service connection or subscriber identity module therefor to the new user being treated as a new telecommunication service connection; and

(b) fulfilment of the following conditions, namely:—

(i) submission of no objection certificate from the existing user and biometric based identification of both the existing user and the new user in accordance with rule 3:

Provided that in case the existing user is unable to fulfil any requirement under this clause due to his incapacity, in lieu of such requirement, a medical certificate shall be submitted to evidence such incapacity; or

(ii) in case the existing user is deceased, submission of his death certificate and biometric based identification of the new user in accordance with rule 3:

Provided that the Central Government or its officer authorised in this behalf may, on being satisfied that it is necessary or expedient so to do, exempt or relax any condition under this sub-rule in respect of a user or class of users, while recording the reasons in writing.

(4) In case of a business connection, the authorised entity shall explain in clear and explicit manner to the authorised representative of the business user concerned that if there is any change in end user of such business connection, such representative shall ensure the following, namely:—

(a) the authorised representative of the business user shall have the obligation to intimate such change to the authorised entity within such period specified in this behalf on the portal; and

(b) the authorised representative of the business user shall have the obligation to ensure that the new end user undergoes biometric based identification within the period specified in this behalf on the portal, failing which such business connection shall be suspended by the authorised entity, till the successful undergoing of biometric based identification by such new end user:

Provided that nothing in this sub-rule shall apply in respect of any end user or class of end users exempt under the proviso to sub-rule (4) of rule 3.

(5) The authorised entity may, in respect of any information given or document submitted under this rule, carry out checking through a field visit or take assistance of the police for verification or both.

(6) The authorised entity shall update in its subscriber data record all changes made under this rule to user information, while maintaining the old and new information along with time stamp.

7. Suspension and reverification.—(1) If it comes to the notice of the Central Government that an authorised entity has provided any telecommunication service connection or subscriber identity module therefor to a user in violation of these rules, the Central Government may direct such authorised entity to suspend forthwith such connection or module and undertake biometric based identification of such user afresh, in accordance with rule 3 within such period of time as may be specified by the Central Government, failing which, the Central Government may direct the authorised entity to disconnect such telecommunication service connection or subscriber identity module therefor:

Provided that any action taken under this rule shall be without prejudice to any proceedings against the authorised entity or user or both under relevant provisions of the Act.

(2) An authorised entity shall undertake reverification through biometric based identification of a user in accordance with rule 3 where so required pursuant to orders, directions, instructions or guidelines issued by the Central Government for the purposes of ensuring proper and *bona fide* use of telecommunication service connection or subscriber identity module therefor.

8. Additional obligations of authorised entities.—(1) Every authorised entity shall explain to each of its users, in clear and explicit manner, the following, namely:—

(a) the duty and obligation of the user to—

(i) provide correct information for establishing his identity at the time of biometric based identification under these rules; and

(ii) ensure compliance with clause (a) of section 29 of the Act and not provide false, incorrect, or forged information or documents, or suppress any material information, or impersonate, while establishing his identity; and

(iii) not resell or transfer or lease his telecommunication service connection or subscriber identity module therefor to any other user, save for a transfer pursuant to sub-rules (3) or (4) of rule 6 or any other rule made under the Act; and

(b) the consequences of the user not adhering to his duties and obligations, including in terms of the provisions of—

(i) section 33 of the Act, for furnishing of any false particulars, suppression of any material information, or impersonation of another person, while establishing his identity for availing of telecommunication services; and

(ii) clause (e) of sub-section (3) of section 42 of the Act, for the offence of obtaining of subscriber identity modules or other telecommunication identifiers through fraud, cheating or personation.

(2) Every authorised entity shall also explain to each of its users, in clear and explicit manner, his duty and obligation to—

(a) ensure *bona fide* use of notified services, and the consequences of misuse of such notified services as per applicable law;

(b) forthwith provide information to the authorised entity of any change in the address of such user, accompanied by a document evidencing the new address; and

(c) forthwith provide information to the authorised entity of any change to his user information, to ensure the accuracy and integrity of information in such authorised entity's databases, including in its subscriber data record:

Provided that the authorised entity shall duly update information provided by the user under clauses (b) and (c) in its subscriber data record, while maintaining the old and new information along with time stamp.

(3) Every authorised entity shall obtain an explicit acknowledgement from each user in respect of sub-rules (1) and (2).

(4) Every authorised entity shall ensure the following, namely:—

(a) if the user information or biometric information is collected by or presented to its points of sale pursuant to these rules, such information is transmitted in a secure manner to the relevant systems of the authorised entity, and no such information shall be stored in physical or electronic form by its points of sale;

(b) the obligations in respect of point of sale under the Telecommunications (Authorisation for Provision of Principal Telecommunication Services) Rules, 2026 are adhered to by its points of sale; and

(c) the subscriber data record is operated and maintained while adhering to applicable law, including law relating to data protection and security.

(5) Every authorised entity shall address any grievance relating to biometric based identification through the mechanism for redressal of grievances established by it.

(6) If it comes to the notice of the authorised entity that false, incorrect or forged information or document was presented or used, or any material information was suppressed or impersonation was done, in the course of biometric based identification of a user, such authorised entity shall—

(a) inform the police or relevant law enforcement agency for registration of a first information report, with requisite details, including details of such information, document or impersonation; and

(b) inform the Central Government, in the form and manner specified in this behalf on the portal, the steps taken pursuant to clause (a).

(7) If it comes to the notice of the Central Government that the authorised entity has failed to take action under sub-rule (6), the Central Government may direct such authorised entity to inform the police or relevant law enforcement agency for registration of a first information report and may also initiate action against that authorised entity under Chapter VIII of the Act or under the terms and conditions of the license, as the case may be.

9. Disconnection at request of user.—(1) A user may seek disconnection of subscribed telecommunication service connection or subscriber identity module therefor:

Provided that while accepting the request of the user for disconnection of subscribed telecommunication service connection or subscriber identity module therefor, the authorised entity shall—

(a) undertake biometric based identification of such user in accordance with rule 3; and

(b) undertake due diligence to—

(i) satisfy itself regarding the claims relating to user information, including identity of the user; and

(ii) check whether the user information captured for biometric based identification matches with the user information corresponding to such user in its subscriber data record.

(2) Every authorised entity shall update the relevant fields in its subscriber data record pursuant to any disconnection of telecommunication service connection or subscriber identity module therefor, while maintaining the old and new information along with time stamp.

10. Miscellaneous.—(1) The Central Government may, by order or through instructions, directions or guidelines, require that every authorised entity that undertakes biometric based identification of a user under these rules, shall send to him an alert specifying, among other relevant details, the telecommunication service connection concerned or the subscriber identity module therefor, through each of his existing telecommunication service connections or subscriber identity modules therefor, seeking confirmation from him that he is the user who had made the request in respect of such connection or module.

(2) If the response of the user to the alert under sub-rule (1) is in the negative, the authorised entity shall forthwith and till it has ascertained relevant facts and taken appropriate action for closure, take the following measures, namely:—

(a) in case the alert was sent in connection with enrolment of a user for a telecommunication service connection or subscriber identity module therefor, suspend the telecommunication service connection concerned and the subscriber identity module therefor;

(b) in case the alert was sent in connection with biometric based identification under sub-rule (1) of rule 6,—

(i) under clause (a) thereof, suspend the subscriber identity module concerned;

(ii) under clause (b) or clause (c) thereof, restore the user information in the subscriber data record if it has been updated or changed, or otherwise keep in abeyance update or change of the same; and

(c) in case the alert was sent in connection with biometric based identification under rule 9, restore the telecommunication service connection or subscriber identity module therefor if it has been disconnected, or otherwise keep in abeyance the request for such disconnection.

(3) The Central Government may, for the purposes of giving effect to these rules, issue orders, directions, instructions or guidelines not inconsistent with the Act or these rules, including in respect of—

(a) storage and maintenance of user information by authorised entities, individually or collectively, in a confidential, secure, non-repudiable and immutable manner; and

(b) performance of functions and actions by authorised entities to ensure that user information is identifiable, distinguishable and recordable.

(4) Every authorised entity shall implement appropriate technical and organisational measures for providing necessary assistance to its users while undertaking biometric based identification in accordance with these rules.

(5) An authorised entity shall, when called upon to do so by the Central Government or any agency authorised by it in this behalf, provide such information regarding implementation of these rules, including in respect of any instance of failure of biometric based identification undertaken under these rules as the Central Government or such agency may specify.

(6) Every authorised entity shall, within a period of three months from the date of coming into force of these rules, take appropriate technical and organisational measures, and establish necessary infrastructure for effective observance of these rules:

Provided that the Central Government may, after assessing the state of preparedness of the authorised entities for implementation of such measures, if it considers it necessary in public interest, extend the said period for a further period not exceeding three months.

11. Digital implementation.—The Central Government may, in furtherance of section 53 of the Act, notify one or more portals for digital implementation of these rules, including for providing any form, list of proof of identity and proof of address documents, manner, order, direction, instruction or guideline to be specified under these rules.

[F. No. 24-09/2025-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA